**बिहार सरकार**

**अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग**

सं0–1/निदे0 छात्रावास(नि0/म0)–05–24/2014– 144

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 12.03.18

विषय :–**वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–60(वि0) दिनांक–24.01.2018 के द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत अवस्थित राजकीय अम्बेदकर बालिका उच्च विद्यालय, राजगीर, नालन्दा के भवनों का संलग्न विवरणी के अनुसार विद्युतिकरण कार्य कराने हेतु कुल ₹24,30,555/- लाख (Rs Twenty four lakh thirty thousand five hundred fifty five only) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :–**स्वीकृत।**

2– प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना– 0101–अनुसूचित जाति के भवन–विषय शीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–**4059017890101** से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

3– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4– स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

5– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा। साथ ही भवन निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त आवश्यक कार्य की समीक्षा कर राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7– इस प्रस्ताव पर भवन निर्माण विभाग से सहमति प्राप्त है।

8 – इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

9 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

10 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

—.3.18

(प्रेम सिंह मीणा,)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/निदे0 छात्रावास(नि0/म0)–05–24/2014– 144 पटना,दिनाक– 12.03.18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित कोषागार पदाधिकारी बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, नालन्दा/उप विकास आयुक्त, नालन्दा/उप निदेशक, कल्याण, पटना /जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, नालन्दा /प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.3.18

सरकार के सचिव।

## विवरणी

| Sl. No | Name of Work | Estimated Cost (Rs in Lakhs) |
|---|---|---|
| 1 | Estimate for Renovation with addition and alteranation to E.I in Double Stories Girls hostel Block A,B,C, D & Mess & Bathroom of Dr. B.R.Ambedkar Residential High School hostel, Rajgir in Distt. Nalanda | ₹24,30,555/- |
| | Total | ₹24,30,555/- |

**(Rs Twenty four lakh thirty thousand five hundred fifty five only)**

12.3.18

सरकार के सचिव।

anil allotment 2017